

## कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी अलीगढ़

गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण-

### जिला योजना:-

#### 1: उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन वितरण कार्यक्रम:-

अ- आधार बीज उत्पादन:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों के पौधशाला की स्थापना कराके बीज वितरण कराया जाता है जिसके अन्तर्गत 50.00रु0/प्रति कु0 कृषको को अनुदान दिया जाता है।

ब- प्राथमिक बीज उत्पादन:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों के यहाँ पौधशाला की स्थापना कराके बीज वितरण कराया जाता है जिसके अन्तर्गत 25.00 रु0/प्रति कु0 कृषको को अनुदान दिया जाता है।

स- अभिजनक गन्ना बीज यातायात:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों को शोध केन्द्रों से गन्ना का बीज उपलब्ध कराने हेतु यातायात पर 15.00 रु0/प्रति कु0 अनुदान दिया जाता है।

द- आधार गन्ना बीज यातायात:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों से गन्ना का बीज उपलब्ध कराने हेतु यातायात पर 7.00 रु0/प्रति कु0 अनुदान दिया जाता है।

य- जैव उर्वरक/वर्मी कम्पोस्ट:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों की मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम रखा गया है जिसके लिये मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 600.00रु0 प्रति है० की दर से अनुदान प्रस्तावित है।

2: बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम:- इस योजना के अन्तर्गत किसानों को बीज एवं भूमि उपचार हेतु कीटनाशक 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

3: पेडी प्रबन्ध योजना:- यूरिया/एन0पी0के0 छिड़काव में प्रयोग होने वाले रसायनों के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150रु0/-हैक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है।

4: अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना:-इस योजना अन्तर्गत गन्ना उत्पादक ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। इस योजना का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों को गन्ना आपूर्ति में कोई असुविधा न हो, को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कराया जाता है।

ह0-

जिला गन्ना अधिकारी

अलीगढ़

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-

1: आधार पौधशाला:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों के यहाँ पौधशाला की स्थापना कराके बीज वितरण कराया जाता है जिसके अन्तर्गत 50.00रु0/प्रति कु0 कृषकों को अनुदान दिया जाता है।

2: प्राथमिक पौधशाला:- इस योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों के यहाँ पौधशाला की स्थापना कराके बीज वितरण कराया जाता है जिसके अन्तर्गत 25.00 रु0/प्रति कु0 कृषकों को अनुदान दिया जाता है।

3: क्षेत्र प्रदर्शन:- इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके परिक्षेत्र पर प्रदर्शन रखा जाता है एवं सफल प्रदर्शन पर 7500रु0/-प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है। प्रदर्शन का क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर रखा जाता है एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रदर्शन का क्षेत्रफल 0.200 हैक्टेयर भी रखा जा सकता है, जिसकी अनुदान धनराशि 3000 रु0 होती है।

4: कृषि यंत्र:- इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र वितरित किये जाते हैं।

अ- मानवचालित यंत्रों (जैसे-स्प्रेयर, ड्रस्टर व हेन्डहो आदि) हेतु अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 500 प्रतियंत्र।

ब- पशुचालित यंत्रों (जैसे-हैरो, कल्टीवेटर व मिट्टी पलटने वाला हल) हेतु अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 2500 प्रतियंत्र।

स- शक्ति चालित उन्नतिशील कृषियंत्र/टैक्टर चालित यंत्र हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 30000 प्रतियंत्र।

5: सूक्ष्म पोषक तत्व(माइक्रोन्यूट्रियन्ट) वितरण:- सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति हेतु माइक्रोन्यूट्रियन्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 600 प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाता है।

6: उत्पादकता पुरस्कार:- जिला एवं राज्य स्तर पर पौधा गन्ना तथा पेड़ी गन्ना में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार अधिकतम उत्पादन लेने वाले गन्ना कृषकों को दिया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है:-

अ-जिला स्तर:-

पौधा एवं पेड़ी रु0 25,000/- प्रथम पुरस्कार

पौधा एवं पेड़ी रु0 15,000/- द्वितीय पुरस्कार

ब- राज्य स्तर:-

पौधा एवं पेड़ी रु0 50,000/- प्रथम पुरस्कार

ह0-

जिला गन्ना अधिकारी

अलीगढ़